न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–137/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–27/2013
नरेश शर्मा – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **नरेश शर्मा** की ओर से खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–27/2013, धारा–341, 323, 504, 506/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(xi) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री मनोज कुमार के द्वारा संचालित किया गया। पुकार आवेदक/अभियुक्त अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन यह है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित धारा–3(1)(xi) SC/ST अधिनियम को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है तथा उक्त धारा आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदक पुलिस जमानत पर है तथा तथ्यों की जानकारी के पश्चात् वह स्वेच्छा से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचिका एन.जी.ओ. की सदस्य है तथा उसका अध्यक्ष विनोद शर्मा है, जो धोखा–धड़ी कर उसके पास में जमा पैसा को हड़प लिया है, जिसके संबंध में कोतवाली थाना काण्ड सं0–18/13 सूचिका के द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें विनोद शर्मा को दिनांक 29.01.13 को जेल भेजा गया था, जो छूटकर आ गया है और केस उठाने को लेकर बिनोद शर्मा का फूफा अशोक शर्मा एवं भाई नरेश शर्मा बार– बार जान मार देने की धमकी एवं गाली–गलौज करता है। सूचिका दिनांक 13.03.2013 को करीब नौ बजे रात में कमलपुर गाछी निवास स्थान पर जा रही थी कि मालगोदाम के उत्तर इमली गाछी के

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–137/2026
खगड़िया SC/ST थाना काण्ड सं0–27/2013

लगातार
11.03.2026

पास अशोक शर्मा, नरेश शर्मा उसे घेर लिया एवं गाली–गलौज देते हुए बोला कि विनोद शर्मा पर केस जो पटना में की है, उसे चलकर उठाओ, नहीं तो जान से मार दूँगा। सूचिका के विरोध पर उसे भद्दी–भद्दी गाली देने लगे तथा अशोक शर्मा उसके साथ धक्का–मुक्की करने लगा, आस– पास के लोग आये, तो वहाँ से भाग गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस अपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2014 के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला बनता पाकर अंतर्गत धारा–341, 323, 504, 506/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(xi) SC/ST अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है, जिसमें SC/ST अधिनियम को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–6, 7, 8 एवं 9 में साक्षियों का बयान दर्ज है, जिसमें साक्षियों ने जातिसूचक गाली–गलौज किये जाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है और न ही ऐसी कोई घटना होने की बात बताई है तथा सूचिका पर ही पैसा ऐंठने का आरोप लगाया गया है। कंडिका–19 के अनुसार, आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों को अनुसंधानक के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–41(i) के तहत बंध–पत्र पर मुक्त किये जाने का उल्लेख है। आवेदक/अभियुक्त आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है, ऐसी दशा में उसे Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्त को मो0–1,000/–(एक हजार) रूपये Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ,** मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।